संख्या-24/2019/2796/96-आयुष-1-2019-309/2019

प्रेषक,

प्रशांत त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 26 सितम्बर, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में इनोवेशन सेल के अंतर्गत अमराजे जिल्द व तजीनियत विभाग से अतिवसारक्तता (हाइपरलिपिडीमिया) रोग पर एवीडेन्स बेस्ड अध्ययन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1044/यू0नि0/योजना/2019-20; दिनांक 28.05.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में इनोवेशन सेल के अंतर्गत अमराजे जिल्द व तजीनियत विभाग से अतिवसारक्तता (हाइपरलिपिडीमिया) रोग पर एवीडेन्स बेस्ड अध्ययन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत धनराशि रू0-10.00 लाख (रूपया दस लाख मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का प्रयोग केवल इनोवेशन कार्यक्रम हेतु ही किया जायेगा।
2- महाविद्यालय के एक प्रोफेसर को इनोवेशन कार्यक्रम हेतु प्रभारी प्राध्यापक नामित किया जायेगा एवं उसके अधीन एक प्रवक्ता सहायक प्रभारी होंगे। इनके द्वारा इनोवेशन, रिसर्च, क्लीनिकल, स्टडी, फील्ड स्टडी आदि के लिए एक विषय/क्षेत्र निर्धारित कर इनोवेशन हेतु एक कार्ययोजना तैयार की जायेगी।
3- इनोवेशन सेन्टर के कार्यकलापों एवं परिणामों को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित कर शासन को सूचित भी किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष :2**210**-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, **05**-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, **103**-यूनानी, **03**-यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल, **00** के मानक मद **42**-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशांत त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2019/2796(1)/96-आयुष-1-19, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http:\\shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।